बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–
सं०सं०–ह०क० (13) योजना (प्रचार–प्रसार)–05/2016 पटना, दिनांक– /2016
प्रेषक:

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

*अनौपचारिक रूप से पर्रामशित

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में "राज्य के हस्तकरघा/विद्युतकरघा बुनकरों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार–प्रसार योजना" हेतु ₹ 50.00 लाख (पचास लाख रू0) मात्र की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य के हस्तकरघा/विद्युतकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार–प्रसार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 50.00 लाख (पचास लाख रूपया) मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इसका मुख्य उद्देश्य वस्त्र उत्पादन से जुड़े राज्य के हस्तकरघा/विद्युतकरघा बुनकरों/दक्ष बुनकरों/उद्यमियों के लिए चलाये जा रहे राज्य प्रायोजित एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी हो ताकि योजना का लाभ पारदर्शी रूप से मिल सके। इस हेतु विस्तृत स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

योजना का क्रियान्वयन निम्न रूप से किया जायेगा।

क्र0 सं0	सम्पादित किये जाने वाले कार्य
1	पम्पलेट/बुकलेट में योजना की संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी प्रारम्भ में 2000 पम्पलेट एवं 2000 बुकलेट तथा योजनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का मुद्रण कराकर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी पुनः आवश्यकता पड़ने पर अथवा नई योजना लागू होने पर, पुनः मुद्रण कराया जाएगा। मुद्रण कार्य उद्योग मित्र से कराया जाएगा।
2	हस्तकरघा कलस्टर से संबंधित प्रखण्ड कार्यालय एवं बस स्टैण्ड, हस्तकरघा बाहुल्य जिला के कार्यालय में फ्लैक्स एवं होडिंग लगाया जाएगा। जिसके माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। फ्लेक्स एवं होडिंग उद्योग मित्र से तैयार कराकर क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
3	हस्तकरघा कलस्टर से संबंधित प्रखण्डों में कैम्प लगाकर योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी एवं आवेदन पत्र भी प्राप्त किये जायेगे।
4	विभाग द्वारा लगाये जाने वाले/सेमिनार/कैम्प एवं अन्य कार्यक्रम में पम्पलेट, बुकलेट एवं आवेदन पत्र का वितरण किया जाएगा। साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य व्यय किया जाएगा।

3. स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103, हथकरघा उद्योग, मॉग सख्या–23, उप शीर्ष–0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड–**P-2851001030103** राज्य योजना स्कीम कोड–IND-**5438** के अन्तर्गत विषय शीर्ष 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन मद में वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयव्ययक में ₹ 100.00 लाख (एक करोड़ रूपया) मात्र बजट उपबंध प्राप्त है। उपबंधित राशि में से ₹ 50.00 लाख (पचास लाख रूपया) मात्र विकलित होगा।

D:\Dilip kumar\2016\rambriksh\Sanction Order

4. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वरीय लेखा पदाधिकारी हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय होगे जो स्वीकृत राशि की निकासी कर उद्योग मित्र के पी0एल0 खाता सं0–277 में उपलब्ध करायेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम के आदेशानुसार राशि व्यय करेंगे।

5. योजना का लेखा–जोखा की पूर्ण जिम्मेवारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, राम चरित्र पथ पटना की होगी। जो वित्त विभाग के पत्र सं0 को प्र0 विविध–06/2015–8599 दि0 01.10.2015 एवं 7280 दि0–14.09.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

7. योजना का कोड सं.–IND5438 हैं। यह राशि योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है।

8. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या–*ह0क0 (13) योजना (प्रचार–प्रसार)–05/16* के पृष्ट–03/टि0 पर दिनांक–15.09.2016 को प्राप्त है।

9. इस राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– *ह0क0 (13) योजना (प्रचार–प्रसार)–05/16* के पृष्ट–04/टि0 पर दिनांक–20.09.2016 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय पत्रांक:–7355/वि0(2), दिनांक:–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8

विश्वासभाजन,
ह0/–
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 6465 पटना, दिनांक– 09/12/2016

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/अपर उद्योग निदेशक(तक0), हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा), उद्योग निदेशालाय/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा), उद्योग विभाग/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इन्दिरा भवन, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/मधुबनी/सीवान/बांका/रोहतास/कैमूर/नालन्दा/नवादा/औरंगाबाद/उप विकास पदा0(वस्त्र), भागलपुर/गया/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/12/16
संयुक्त सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।